यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड कोटद्वार, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड कोटद्वार, के माह 08/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.09.2017 से 20.09.2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मोहम्मद सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक श्री दीपेश कुमार एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 04/08/2016 से 17/08/2016 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापीरक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2014 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2016/ से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- ग्रामीण निर्माण विभाग का कार्य यह की, विभिन्न विभागो के निर्माण कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, जिला पौड़ी के 7 ब्लॉक है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत	शासन को समर्पित राशि
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2014-15	00.00	189.18	161.17	155.42	868.98	589.72	468.44	05.75
2015-16	00.00	468.44	201.22	146.56	819.11	905.54	382.01	54.66
2016-17	00.00	382.01	190.18	184.00	1338.29	1313.55	406.75	06.08

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हुये इकाई **A** श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचाः- (संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

1. सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन

तकनीकी संवर्ग मेः-

2. मुख्य अभियंता स्तर-1 (विभागाध्यक्ष) 3. मुख्य अभियंता, स्तर-2 4. अधीक्षण अभियंता 5. अधिशासी अभियंता 6. सहायक अभियंता 7. कनिष्क अभियंता.

गैर तकनीकी संवर्ग मेः-

1. वित्त नियंत्रक 2. खंडीय लेखाकार 3. सहायक लेखाधिकारी 4. प्रशासनिक अधिकारी 5. लेखाकार 6. प्रधान सहायक 7. वरिष्ठ सहायक 8. कनिष्क सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड कोटद्वार, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड कोटद्वार, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड कोटद्वार, का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड कोटद्वार, के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-01- ₹ 19.05 लाख "एल डी" की वसूली ठेकेदार से नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 35 एवं "36 डी" के अनुसार किसी निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं करने की दशा में अनुबंध की राशि का प्रति सप्ताह 0.5% की दर से अधिकतम 10% तक की राशि पैनाल्टी के रूप में वसूल की जानी चाहिए थी तथा इस नियम को अनुबंध की शर्तो में भी शामिल किया जाना चाहिए। इस राशि को विभाग के राजस्व लेखाशीर्ष में जमा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1992 दिनांक 13/01/2015 के द्वारा मैसर्स शहनवाज शमसी, गंगादत्त जोशी मार्ग, कोटद्वार जिला पौड़ी को उपरोक्त निर्माण कार्य दिनांक 19/01/2015 को प्रारम्भ करके दिनांक 18/01/2016 तक पूर्ण किया जाना था।

अनुबंध के अनुसार कार्य की लागत ₹ 1,90,59,236 थी, यह निर्माण कार्य माह 3/2017 में पूर्ण किया गया था। अर्थात एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है इस स्थिति में अनुबंधित राशि ₹ 1,90,59,236 का 10% एल डी धनराशि ₹ 19,05,923, ठेकेदार से वसूल करके विभाग के राजस्व लेखाशीर्ष में जमा की जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगति करने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया था कि समयवृद्धि प्रकरण बिना अर्थदंड की संस्तुति के उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। उनके निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

अतः उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि जो निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूर्ण किया जाना था उसको पूर्ण करने में 2 वर्ष से अधिक का समय लगा था। एल डी की वसूली की जानी चाहिए थी।

₹ 19.05 लाख धनराशि एल डी ठेकेदार से वसूली नहीं करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
100/2014-15	--	1,2,3
47/2016-17	--	1,2,3,4,5
योग		**08**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड कोटद्वार, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई डी सी पंत	अधिशासी अभिंयता	
2.	ई हितेष पाल सिंह	अधिशासी अभियंता	

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड कोटद्वार, को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.